अनवान– मनजीराम बनाम अजाराम
मुकदमा नम्बर– 09 / 2025
निर्णय तारीख– 11.07.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 09 / 2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025 / 86

1. मनजीराम पुत्र श्री परवाराम जाति राईका निवासी दधूड़ा तहसील सांचौर जिला जालोर।

1. अजाराम पुत्र श्री पाताराम जाति कलबी निवासी दधूड़ा तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा सांकड़।
3. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर ।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 23.05.2025

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चौधरी उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय।
4. अप्रार्थी 3 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :–

दिनांकः– 11.07.2025

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया कि मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि मौजा दधूड़ा पटवार हल्का सुरावा के खेत खसरा संख्या 21 रकबा 2.82 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा संख्या 22 रकबा 0.18 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, कुल रकबा 3.00 हैक्टेयर भूमि का आया हुआ है। जिसमे मेरा हिस्सा 1/2 है। जिस पर मैं काबित काश्त हूँ। तथा मैं प्रार्थी सपरिवार निवासरत है व [illegible] करते आ रहे है। उक्त खातेदारी खेत में आवागमन का कोई अन्य निकटतम रास्ता नही होने से नियमानुस[illegible] निकटतम रास्ता मौजा दधूड़ा पटवार हल्का सुरावा के खेत खसरा संख्या 29 रकबा 2.6[illegible] किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा संख्या 216/21 रकबा 0.40 हैक्टेयर [illegible] चाही दोयम भूमि में से [illegible] चौड़ा रास्ता सलंग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल रंग [illegible] दर्शाया गया है। जो मुझ [illegible] दिया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। मौजा दधूड़ा पटवार हल्का सुरावा के खेत खसरा संख्या 29 रकबा 2.65 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा संख्या 216/21

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंग्न नक्शा परिशिष्ठ **अ** मे लाल रंग से दर्शाये अनुसार अवाप्त कर प्रार्थी को अपने खातेदारी खेत में आवागमन करने हेतू रास्ता दिलाया जाये। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा दधूड़ा पटवार हल्का सुरावा के खेत खसरा संख्या 29 रकबा 2.65 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा संख्या 216 / 21 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंग्न नक्शा परिशिष्ठ **अ** मे लाल रंग से उल्लेखित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ते की भूमि के रूप मे दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 2 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से नायब तहसीलदार उपस्थित।

3. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश कर सहमति प्रदान की गई । जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। यह है कि पद संख्या 01 में वर्णित तथ्य जानकारी के अनुसार स्वीकार हैं प्रार्थी की भूमि ग्राम दधूड़ा पटवार हल्का दधूडा में आई हुई है। पद संख्या 02 में वर्णित तथ्य जानकारी के अनुसार स्वीकार हैं। प्रार्थी के खातेदारी खेत में आवागमन करने हेतू रास्ते की आवश्यकता है, जो मुझ अप्रार्थी के मौजा दधूड़ा पटवार हल्का सुरावा के खेत खसरा संख्या 29 रकबा 2.65 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम व जाव दोयम, खसरा संख्या 216 / 21 रकबा 0.40 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम भूमि में से 12 फीट चौड़ा नया रास्ता प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शायेनुसार भूमि को अवाप्त कर प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेतों में आवागमन करने हेतू रास्ता दिया जाये तो मुझे कोई आप्पति नही है। तथा मुझे उक्त भूमि के एवज मे पैसो की आवश्यकता नही है। उपस्थित अप्रार्थी संख्या 57 राजपैरोकार द्वारा इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई।

4. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता की सुनी गई। उभय पक्ष अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र एव जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया।

1. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :– 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर [illegible] बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन [illegible] किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।
गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है—

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ—साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत खसरा नम्बर 21 रकबा 2.2 हैक्टर में पहुंचाने हेतु [illegible] नजरी नक्शा अनुसार एव कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है । प्रार्थीगण [illegible] गई। अतः प्रार्थीगण के खसरा अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा रास्ता [illegible] रकबा 2.65 हैक्टेयर किस्म चाही नं. 21 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा [illegible] रकबा 0.40 हेक्टेयर किस्म चाही दोयम से दोयम व जाव दोयम, खसरा नम्बर 216/21 रकबा [illegible] जाना उचित है। प्रार्थीगण का वर्तमान प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार रास्ता दि[illegible] जाना उचित है। प्रार्थीगण का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि सरहद मौजा दधूड़ा, पटवार हल्का सुरावा के खसरा नंबर 21 में आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Scanned with OKEN Scanner

हेतु खसरा नम्बरान 29, 216/21 में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

:— आदेश :—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सरहद मौजा दधूड़ा, पटवार हल्का सुरावा के खसरा नम्बरान 29, 216/21 भूमि में से 4 मीटर चौड़ाई रखते हुये तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। तहसीलदार सांचौर को पालना तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक **11.07.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.07.31 15:34:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner